

न्यायालय
हकामत
वप की
में जारी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 26/21 प्र/पत्र

गमलाब 3/3 श्री रामश्याम नारायण निवासी- कैरा तहसील-माण्डल [कैरा]

-प्रार्थी

बनाम

माण्डल 3/3 श्री गुलाब सुन्दर निवासी- कैरा तहसील-माण्डल [कैरा]
(सिद्धांकित प्राप्य राखण)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24.01.23

::आदेश::

र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम...~~कैरा~~...पटवार हल्का ~~गोनाम~~...तहसील माण्डल में उसके खाते की आराजी नं. ~~प्रमाणित पिन्ने 46 पर शक्ति~~ कुल कित्ता ~~46~~ रकबा ~~7.29.68~~ हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की आदेश प्रदान कराये जावें।

पत्र इस न्यायालय में दिनांक ~~12-02-21~~ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ही न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...~~कैरा~~...पटवार ...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. ~~प्रमाणित पिन्ने 46 पर शक्ति~~ ~~46~~ रकबा ~~7.29.68~~ हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख ~~रिया~~ को ~~3000/-~~ रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा




सीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

रीडर
उपखण्ड अधिकारी काण्डल

24.1.23

पञ्चावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिहास जका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपरोक्त नदी दुर्नके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल बुमार होकर नंबर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा </p>	